महत्वपूर्ण/फैक्स/ई–मेल/स्पीड–पोस्ट

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–16, लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संख्याः– R-591/16–99जी/मु0कि0स0बी0यो0/2018–(बजट) दिनांकः 01 जनवरी, 2019

विषयः–मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त परिषद पत्र संख्या आर–528/16–99जी/मु0कि0स0बी0यो0/2018–(बजट) दिनांकः 26 नवम्बर, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना जो कि परिषद द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2018 से संचालित की जा रही है, के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के संचालन के सम्बन्ध में परिषद द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैंः–

1– जिलाधिकारी अपने जनपद के लेखपालों के माध्यम से अभियान चलाकर मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अन्तर्गत अपने हल्के में हुयी दुर्घटनावश मृत्यु/विकलांगता तथा चिकित्सा सुविधा का फार्म भरवाकर उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करेंगे, जिसका विवरण अलग–अलग तैयार कर रजिस्टर/कम्प्यूटर में उप जिलाधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। उप जिलाधिकारी देय दावों की संस्तुति सहित, दावा फार्मों को जनपद के नोडल अधिकारी (अपर जिलाधिकारी वि0/रा0) को प्रेषित करेंगे। इस सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी पात्र लाभार्थी उक्त योजना के लाभ से वंचित न रह जाये।

2– जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी द्वारा समस्त दावों के विवरण की सूचना रजिस्टर में दर्ज करायी जायेगी। दुर्घटनावश मृत्यु/विकलांगता तथा चिकित्सा सुविधा का अलग–अलग विवरण रजिस्टर/कम्प्यूटर पर सुरक्षित रखना होगा। जनपद स्तर पर जांचोपरान्त दावा फार्मों को सम्बन्धित बीमा कम्पनियों को भुगतान हेतु प्रेषित किया जायेगा। उसके उपरान्त बीमा कम्पनी दावों का भुगतान करेंगी।

3– जनपद द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख एवं 25 तारीख को योजना से सम्बन्धित लाभार्थियों के नाम, पते तथा भुगतान आदि की समस्त सूचनायें तथा निरस्त किये गये दावों की सूचना, निरस्त करने के कारण सहित, परिषद को प्रेषित की जायेंगी।

4– जिला स्तर पर दावों के निस्तारण की समीक्षा/गतिरोधों के निपटान हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला समिति की बैठक, जिलाधिकारी प्रत्येक माह की 20 तारीख (अवकाश होने पर अगले कार्यदिवस को) को आहूत करेंगे, जिसमें बीमा कम्पनी के अधिकारी भी प्रतिभाग करेंगे। समिति द्वारा लिया गया निर्णय सम्बन्धित बीमा कम्पनी पर बाध्यकारी होगा।

5– बीमा कम्पनियों द्वारा किये जाने वाले प्रचार–प्रसार के सम्बन्ध में परिषद द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

(अ) जनपद में कार्यरत बीमा कम्पनी द्वारा योजना का वृहद प्रचार–प्रसार जिलाधिकारी कार्यालय, तहसील एवं ब्लॉक कार्यालय, सी0डी0ओ0 कार्यालय, रेलवे स्टेशन, अस्पतालों आदि स्थानों पर वॉल पेन्टिंग, होर्डिंग एवं फोल्डिंग स्टैन्डी आदि के द्वारा किया जायेगा।

..2..

(ब) बीमा कम्पनी द्वारा योजना का प्रचार–प्रसार अन्य सार्वजनिक स्थानों पर, महोत्सवों, मेलों, प्रदर्शनी, थाना दिवस, तहसील दिवस आदि में किया जायेगा।

(स) बीमा कम्पनी द्वारा योजना के प्रचार–प्रसार में योजना से सम्बन्धित दिये जाने वाले लाभ, पात्रता की शर्तें तथा सम्पर्क सूत्र (नाम, पता एवं हेल्प लाइन नम्बर) का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

(द) बीमा कम्पनी द्वारा उपरोक्त प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु प्रशासन द्वारा यथा संभव सहयोग प्रदान किया जायेगा।

अतः कृपया उपरोक्त बिन्दुओं को समाहित करते हुये मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के संचालन हेतु संस्थागत वित्त विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा–निर्देश एवं शर्तों के अधीन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन कड़ाई से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रजनीश गुप्ता)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग–9, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2– मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, दि ओरियेन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, जीवन भवन, तृतीय तल, 43 हज़रतगंज, लखनऊ।

3– मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, 15/60, ग्रीन हाउस, निकट–जी0जी0आई0सी0, सिविल लाईन्स, कानपुर।

4– मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, आरिफ चैम्बर, कपूरथला, अलीगंज, लखनऊ।

1/1/2019

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त।